

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 120/2013

जीसीएमएस नम्बर :- 2013/00110

1. होशियार सिंह पुत्र जयनारायण नवीरा चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीगण

बनाम

1. रोताश
2. सुरता
3. सत्यवीर
4. जगदीश पुत्रान बीरबल नवीरा चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. उमराव पुत्र चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. रामकुमार पुत्र चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. प्रभाती देवी पत्नी हिराराम पुत्र वधु चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. देवेन्द्र पुत्र हिराराम नवीरा चुनाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. शारदा पुत्र हिराराम पत्नी प्रकाश जाति अहीर निवासी मालडा तहसील व जिला महेन्द्रगढ जिला हरियाणा
10. कृष्णा पुत्री रामसिंह नाती घडसीराम
11. कौशल्या पुत्री रामसिंह नाती घडसीराम
12. सपना पुत्री रामसिंह नाती घडसीराम जाति अहीर निवासी मालडा तहसील व जिला महेन्द्रगढ जिला हरियाणा
13. जगमाल (फौत)
- 13/1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जगमाल
- 13/2. बाबूलाल पुत्र स्व0 जगमाल
- 13/3. रणवीर पुत्र स्व0 जगमाल
- 13/4. अशोक पुत्र स्व0 जगमाल
- 13/5. बिल्लू पुत्र स्व0 जगमाल जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
- 13/6. सुबेत्रा पुत्री स्व0 जगमाल पत्नी नामालूम जाति अहीर निवासी बधवाणा जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
14. दीनदयाल पुत्र हेतराम (फौत)
- 14/1. भाति देवी पत्नी दीनदयाल
- 14/2. कृष्ण कुमार पुत्र दीनदयाल
- 14/3. देशराज पुत्र दीनदयाल
- 14/4. रमेश पुत्र दीनदयाल



40
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

- 14/5. संजय पुत्र दीनदयाल
- 14/6. सुरेश पुत्री दीनदयाल
- 14/7. बिमला पुत्री दीनदयाल
- 14/8. उगता पुत्री दीनदयाल जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
15. प्रहलाद पुत्र हेतराम (फौत)
- 15/1. कलावती पत्नी प्रहलाद
- 15/2. सुमेर पुत्र प्रहलाद
- 15/3. निर्मल पुत्र प्रहलाद
- 15/4. मन्जु पुत्री प्रहलाद
- 15/5. प्रेम पुत्री प्रहलाद समस्त जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
16. शाखा प्रबंधक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा भालोठ तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
17. सुरजा पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
18. नोरगं पुत्र फुलाराम
19. गजराज पुत्र फुलाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
20. सूबेसिंह पुत्र उमरावसिंह
21. हवासिंह पुत्र उमरावसिंह जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
22. कृष्णा यादव पत्नी बलबीरसिंह जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
23. रामकला पत्नी उमरावसिंह जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
24. सरोज
25. सरिता पुत्रीयान उमरावसिंह जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
26. रामजीलाल
27. रघुवीरसिंह
28. बलबीरसिंह पुत्रान घीसाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत- घोषामक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

दिनांक:- 16/11/2025

५१

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

जिला झुझुनूं (राज0). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2029 से 2031 के खाता संख्या 30 के ख0 न0 211 रकबा 9 बीघा ख0 न0 212/1 रकबा 8 बिघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बिघा 5 बिश्वा के खातेदार

काश्तकार चुना पुत्र तेजा हिस्सा 1/2 मंगला, भुरा पुत्र टाकरसिंह 1/4 चुना पुत्र तनसुख 1/4 कोम अहीर सादेय जिसमें इंतकाल न 126 चुना पुत्र तेजा फौत बिरबल, रामकुमार, उमराव हीरा पुत्रान चुना के नाम दर्ज हुआ जिसमें वादी के पिता जयनारायण के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हुआ जयनारायण चुना से पहले फौत होने के कारण उसका नामान्तरण नहीं है राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी के कारण वादी के पिता के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। जबकि वादी हिस्से अनुसार अपने पिता जयनारायण के कब्जे अनुसार काश्तकार है।

2. यह कि ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि सम्वत् 2029 से 2031 अनुसार खाता संख्या 31 के ख0 न0 30 रकबा 12 बिधा ख0 न0 159 रकबा 1 बिधा 18 बिश्वा ख0 न0 163 रकबा 1 बिधा 7 बिश्वा ख0 न0 202 रकबा 6 बिधा 19 बिश्वा ख0 न0 204 रकबा 6 बिधा 16 बिश्वा ख0 न0 203 रकबा 3 बिधा 13 बिश्वा कुल किता 6 कुल रकबा 37 बिधा 13 बिश्वा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड चुना, घड़सी हेतराम पुत्रान तेजाराम जाति अहीर सादेह हि.ब. दर हिस्सा 1/3 बदस्तुर चुना घड़सी पिता तेजाराम हिस्सा 2/3 एवं इंतकाल संख्या 126 चुनाराम फौत बीरबल, रामकुमार उमराव, हीरा पिता चुना दर्ज हुआ जिसमें वादी के पिता जयनारायण का चुना से पहले ही फौत होने के कारण नाम दर्ज नहीं हुआ वादी का नाम विरासतन नामान्तरण राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही के कारण दर्ज नहीं हुआ। जबकि वादी अपने हिस्से अनुसार अपने पिता जयनारायण के कब्जे बाद कब्जेकाश्त चला आ रहा है।
3. यह कि ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2031 के अनुसार खाता संख्या 32 के ख0 न0 92 रकबा 4 बिधा 4 बिश्वा ख0 न0 97 रकबा 4 बिधा 2 बिश्वा ख0 न0 98 रकबा 1 बिधा 1 बिश्वा ख0 न0 99 रकबा 1 बिधा 19 बिश्वा ख0 न0 100 रकबा 2 बिधा 7 बिश्वा ख0 न0 98/335 रकबा 15 बिश्वा कुल किता 8 कुल रकबा 16 बिधा 10 बिश्वा के खातेदार काश्तकार चुना, घड़सी हेतराम, पिता तेजाराम 11 हरदेवा पुत्र अमीचन्द 1 माडू, गणपत पिता मिना 1 जिसमें इंतकाल संख्या 139 हेतराम फौत जगमाल, दीनदयाल, पहलाद पुत्र हेतराम, चुना, घड़सी पिता तेजाराम 11 हरदेवा पिता अमीचन्द 1 माडू, गणपत पिता मिना 1 इंतकाल संख्या 133 हरदेवा फौत सुरजा फुला पिता हरदेवा दर्ज नहीं हुआ 1 इंतकाल संख्या 126 चुना फौत बीरबल, रामकुमार, उमराव, हीरा पिता चुना गलत विरासत दर्ज हुआ जिसमें वादी के पिता जयनारायण चुना पहले फौत होने पर वादी का नाम विरासतन नामान्तरण राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियों की वजह से दर्ज नहीं हुआ जबकि वादी के पिता अपने हिस्से अनुसार कब्जेकाश्त से वादी आज तक कब्जे काश्त है।
4. यह कि भू-प्रबन्ध के बाद हाल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 162 के ख0 न0 451/3 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/5 है और उसी अनुसार कब्जेकाश्त है जो गत ख0 न0 202 से बना है खाता संख्या 155 के ख0 न0 450 रकबा 1.64 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 है और उसी अनुसार कब्जे काश्त है जो गत ख0 न0 202 से हाल ख0 न0 बना है खाता संख्या 159 के ख0 न0 100 रकबा 0.72 हैक्टर तथा ख0 न0 101 रकबा 0.73 हैक्टर ख0 न0 91 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी चुन्नाराम का 1/3 हिस्सा था जिसमें वादी का 1/5 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4



41
घड़सी अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

- को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5, 6 को 2/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/3 में से घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिससे वादी का 1/5 कब्जे काश्त है जो गत ख0 न0 30 से बने है जिसमें वादी का विरासतन नाम दर्ज नहीं हुआ जो प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 प्रतिवादी संख्या 16 के रहन है।
5. यह कि वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 161 के ख0 न0 184 रकबा 0.55 हैक्टर ख0 न0 185 रकबा 0.68 हैक्टर ख0 न0 186 रकबा 0.93 हैक्टर ख0 न0 187 रकबा 0.90 हैक्टर ख0 न0 199 रकबा 0.26 हैक्टर ख0 न0 200 रकबा 0.31 हैक्टर ख0 न0 201 रकबा 0.31 हैक्टर ख0 न0 202 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.12 हैक्टर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 व प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 21 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 भाग का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ वादी के दादा से पहले वादी के पिता फौत होने के कारण नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या 20 व 21 ने प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का हिस्सा खरीद लिया जिससे प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 की जगह प्रतिवादी संख्या 20 व 21 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी चुन्नाराम का 1/6 हिस्सा था जिसमें से 1/30 हिस्सा वादी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/24 की जगह 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/24 की जगह 2/30 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/24 की जगह 1/30 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे
6. यह कि वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 160 के ख0 न0 459 रकबा 2.64 हैक्टर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12, 15, 22 लगायत 28 दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार है जिसमें प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 ने प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 25 का 0.26 हैक्टर का आपसी तबादला कर प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 25 का दर्ज राजस्व रिकार्ड हुये जिसमें हिस्सा 0.26 हैक्टर हुआ और प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 का हिस्सा 0.81 हैक्टर भूमि का तबादला प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 28 से किया जिससे वे खातेदार काश्तकार दर्ज हुये जिसमें वादी 1/5 दर हिस्सा 1/3 हिस्सा है परन्तु वादी के दादा से वादी के पिता फौत होने से रिकार्ड नहीं बना लेकिन कब्जा वादी का ही है। वाद वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण को हकपूर्वाधिकारी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था तथा उसमें से वादी का 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/4 की जगह 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/2 की जगह 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/4 की जगह 1/5 दर्ज हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।
7. यह कि ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 156 के ख0 न0 499 रकबा 0.56 हैक्टर ख0 न0 500 रकबा 1.12 हैक्टर ख0 न0 502 रकबा 1.04 हैक्टर ख0 न0 504 रकबा 1.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.82 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/5 दर्ज राजस्व रिकार्ड है



और राजस्व रिकार्ड अनुसार कब्जा अनुसार अलग से खाता कायम कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड बनाया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

8. यह कि वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता संख्या 52 के ख0 न0 98 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 99 रकबा 1.40 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.79 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/10 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तदनुसार अलग से खाता कायम कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड बनाया जाने के आदेश दिया जावे तथा खाता संख्या 157 के ख0 न0 62 रकबा 0.58 हैक्टर ख0 न0 375 रकबा 0.02 हैक्टर ख0 न0 376 रकबा 3.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.88 हैक्टर भूमि में हिस्सा 1/5 भाग प्रतिवादी संख्या 20 को बेचान कर दिया खातेदार काश्तकार वादी की जगह प्रतिवादी संख्या 20 दर्ज राजस्व रिकार्ड तथा उसका भी खाता अलहेदा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड बनाये जाने के आदेश दिये जावे।
9. यह कि दावा कि लिये आधार विवाद इस प्रकार है कि वादी के दादा पहले वादी के पिता फौत होने के कारण वादी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से तथा नामान्तरण संख्या 126 में विरासतन नामान्तरण राजस्व अधिकारियों की भूलवंश दर्ज नही होने से यह दावा माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). यह कि दावा में दर्ज हाल खाता संख्या 162 के ख0 न0 451/3 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 2/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/3 दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर खातेदार घोषित कर खाता विभाजन कायम कर अलहेदा खाता बनाया जावे।

(ख). यह कि खाता संख्या 155 के ख0 न0 450 रकबा 1.64 हैक्टर में वादी का नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त कर वादी को 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्से में से दर्ज किया जावे वादी को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 2/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/5 हिस्से दर हिस्सा 1/3 दर्ज कर खातेदार घोषित कर तदनुसार खाता विभाजन अलग से राजस्व रिकार्ड बनाये जाने के आदेश दिया जावे।

(ग). कि दावा में दर्ज खाता संख्या 159 के ख0 न0 100 रकबा 0.72 हैक्टर ख0 न0 101 रकबा 0.73 हैक्टर ख0 न0 91 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वादी का हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

(घ). कि खाता 161 के ख0 न0 184 रकबा 0.53 हैक्टर ख0 न0 185 रकबा 0.68 हैक्टर ख0 न0 186 रकबा 0.93 हैक्टर ख0 न0 187 रकबा 0.90 हैक्टर ख0 न0 199 रकबा 0.26 हैक्टर ख0 न0 200 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.12 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/30 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/30, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 2/30, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित

कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वादी का हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

(ड) कि वाद वर्णित भूमि के खाता संख्या 160 के ख0 न0 459 रकबा 2.64 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड दुरुस्त कर वादी के हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

(च) कि वाद वर्णित भूमि के खाता संख्या 156 के ख0 न0 499 के रकबा 0.56 हैक्टर ख0 न0 500 रकबा 1.12 हैक्टर ख0 न0 502 रकबा 1.04 हैक्टर ख0 न0 504 रकबा 1.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.82 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/5 दर्ज राजस्व रिकार्ड है हिस्सा एवं कब्जे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड बनाया जावे तथा खाता संख्या 52 के ख0 न0 98 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 99 रकबा 1.40 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.79 हैक्टर में वादी का 1/10 हिस्से एवं कब्जे अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 29 की तामिल असालतन होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की और से श्री रजनीश एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/ इकबालिया जवाब दिनांक 08.06.2023 को पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 की ओर से श्री नरपाल यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। वादी द्वारा शेष प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 28 से कोई अनुतोष नहीं चाहता है उनको मात्र इस भूमि में दर्ज होने से परफोरमा पक्षकार बनाया है। बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम सोहली स्थित भूमि हाल खाता संख्या 160, 162, 155, 159, 161, 156, 52, 157 में वादी को 1/15 भाग का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 में ही इस भूमि से समन्धित विवाद है शेष प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 28 से कोई अनुतोष नहीं चाहता है इनको सिर्फ भूमि में खातेदारी दर्ज होने पर परफोरमा पक्षकार बनाया है साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादी की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है किंतु पिता की मृत्यु उपरांत हिस्से से वछिंत रखा गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशाल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2028-2031, जमाबन्दी सम्वत 2036-2039, जमाबन्दी सम्वत 2032-2035, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

-:आदेश:-

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 162 के ख0 न0 451/3 रकबा 0.12 हैक्टर व खाता संख्या 155 के ख0 न0 450 रकबा 1.64 हैक्टर व खाता संख्या 159 के ख0 न0 100 रकबा 0.72 हैक्टर ख0 न0 101 रकबा 0.73 हैक्टर ख0 न0 91 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.04 हैक्टर व खाता 161 के ख0 न0 184 रकबा 0.53 हैक्टर ख0 न0 185 रकबा 0.68 हैक्टर ख0 न0 186 रकबा 0.93 हैक्टर ख0 न0 187 रकबा 0.90 हैक्टर ख0 न0 199 रकबा 0.26 हैक्टर ख0 न0 200 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.12 हैक्टर एवं खाता संख्या 160 के ख0 न0 459 रकबा 2.64 हैक्टर तथा खाता संख्या 156 के ख0 न0 499 के रकबा 0.56 हैक्टर ख0 न0 500 रकबा 1.12 हैक्टर ख0 न0 502 रकबा 1.04 हैक्टर ख0 न0 504 रकबा 1.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.82 हैक्टर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 2/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/3 भाग कर वादी को 1/5 भाग की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "



निर्णय आज दिनांक 16.11.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

५१
(पंकज शर्मा) बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

५१
(पंकज शर्मा) बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद सं.- 120/2013

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :- 2013/00110

होशियार सिंह बनाम रोताश आदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से श्री रजनीश एड. तथा प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 की ओर से श्री नरपाल यादव एड. की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 162 के ख0 न0 451/3 रकबा 0.12 हैक्टर व खाता संख्या 155 के ख0 न0 450 रकबा 1.64 हैक्टर व खाता संख्या 159 के ख0 न0 100 रकबा 0.72 हैक्टर ख0 न0 101 रकबा 0.73 हैक्टर ख0 न0 91 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.04 हैक्टर व खाता 161 के ख0 न0 184 रकबा 0.53 हैक्टर ख0 न0 185 रकबा 0.68 हैक्टर ख0 न0 186 रकबा 0.93 हैक्टर ख0 न0 187 रकबा 0.90 हैक्टर ख0 न0 199 रकबा 0.26 हैक्टर ख0 न0 200 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.12 हैक्टर एवं खाता संख्या 160 के ख0 न0 459 रकबा 2.64 हैक्टर तथा खाता संख्या 156 के ख0 न0 499 के रकबा 0.56 हैक्टर ख0 न0 500 रकबा 1.12 हैक्टर ख0 न0 502 रकबा 1.04 हैक्टर ख0 न0 504 रकबा 1.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.82 हैक्टर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 2/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/3 भाग कर वादी को 1/5 भाग की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

41
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

